

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1616 /2020

दिनांक : 09.09.2020

श्री शारिक हुसैन (RJ1044), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांरा को दिनांक 03.09.2020 से 17.09.2020 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री हुसैन की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांरा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांरा के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
09/09/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2016/ 3653

दिनांक : 09.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांरा को उनके पत्रांक 223 दिनांक 07.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री शारिक हुसैन (RJ1044), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांरा।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांरा।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांरा ।

09/09/2020

सहायक रजिस्ट्रार